

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/4071 Jabalpur, dated 13.10.2016.

The copy of the notification of the Government of M.P. F.No.1-1-88/XXI-B(1)/3655/16, Bhopal, dated 07.10.2016 issued in exercise of the powers conferred by Section 3(1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 is forwarded to;

1. The Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Chhatarpur for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer also,
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information and necessary action.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Wivek Saxena
13.10.2016
(Wivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक...अक्टूबर, 2016

फा. क्रमांक 1-1-88/21-ब(एक)/3655/16, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88/इक्कीस-ब(एक) दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
"10.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर."

NOTIFICATION

F-No-1-1-88/21-B(1)/3655/016- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No-1-1-88/ XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely:-

Amendment

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

1/2//
SCHEDULE

S.No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
"10.	1 st Additional Sessions Judge, Chhatarpur	Chhatarpur."

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(भार.के.वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1-1-88 / 21-ब एक) / 365 / 16, भोपाल, दिनांक / 10 / 2016

प्रतिलिपि:--

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्र. C / 4505 / III 6-4/57, दिनांक 16.09.2016, के संदर्भ में,
2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थाना लोकार्थत कार्यालय, भोपाल,
3. महानिदेशक, मध्यप्रदेश राज्य अर्थेक अपरेट्र अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर,
5. उप निब्रिक, केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. (राज पत्र भाग--1) में प्रकाशनार्थ प्रेषित,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करके वादन प्रेषित।

(भार.के.वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग